दो महीने में अतिक्रमण मुक्त होगा पीएमसीएच

- मुख्य सचिव व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की समीक्षा बैठक
- सभी मेडिकल कालेजों के अधीक्षक व प्राचार्य थे उपस्थित

कार्यालय प्रतिनिधि, पटना : प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों को अतिक्रमण मुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने को बुधवार को मुख्य सचिव व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने समीक्षा बैठक की। इसमें सभी कालेजों के प्राचार्य व अधीक्षक के साथ जिलाधिकारी व अन्य आलाधिकारी उपस्थित थे। पटना के जिलाधिकारी ने पीएमसीएच को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दो माह का समय मांगा है।

जिला प्रशासन को मिले दो नक्शे : पीएमसीएच प्रशासन ने जिला प्रशासन को पीएमसीएच परिसर के दो नक्शे सौंपे हैं। एक 1925 का जब इस संस्थान की स्थापना हुई थी और दूसरा 2002 का है। इन्हीं नक्शों के आधार पर एसडीओ अतिक्रमण स्थलों को चिह्नित करेंगे। जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को यह भी बताया कि कच्चा अतिक्रमण तोड़ना आसान है लेकिन पक्के मकान तोड़ने के लिए एफआइआर दर्ज करा मामला कोर्ट में जाएगा। वहां से आदेश मिलने के बाद परिसर खाली कराया जाएगा।

स्टे लाने वालों को भी नहीं मिलेगी राहत : बैठक में बात उठी की बहुत से अतिक्रमणकारी कोर्ट से स्टे ले आए हैं। इस पर मुख्य सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश व हाईकोर्ट की निगरानी में मेडिकल कालेजों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। ऐसे में स्टे लेने के बावजूद किसी को कोई राहत नहीं मिलेगी। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को अलग-अलग काम पूरा